न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 312/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– पूनाराम पुत्र भीखाराम 2– राणाराम पुत्र देदाराम 3– भंवराराम पुत्र देदाराम 4– जीयो पत्नी देदाराम 5– खेताराम पुत्र नेनाराम 6– सोनी पत्नी भगवानाराम 7– हडमानराम पुत्र भगवानाराम 8– चनणाराम पुत्र भगवानाराम 9– ठाकराराम पुत्र भगवानाराम 10–रावताराम पुत्र बिरमाराम 11–श्रीमती केहनी पत्नी बिरमाराम समस्त जातियान जाट निवासी सांभरा तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर		1– मांगीलाल पुत्र अचलाराम नाई 2– मोहनसिह पुत्र रामसिह राजपूत 3–मंगलाराम पुत्र खेराजराम जाट 4– कानाराम पुत्र गंगाराम जाट 5– पदमाराम पुत्र हरजीराम जाट 6– धन्नाराम पुत्र हरजीराम जाट 7– बाबूलाल पुत्र हेमाराम जाट निवासीगण सांभरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर 8– राजस्थान सरकार जरिये त्हसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर 9– सहायक कलेक्टर (एस0डी0ओ0) बालोतरा जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 10–4–2015 जो राजस्व मुकदमा संख्या 15/2014 अनवान पूनमाराम वगैरा बनाम मांगीलाल वगैरा मे सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बालोतरा द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री के0आर0 चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री गुलाब सिह चंपावत अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7 की ओर से।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 की ओर से ।
4– शेष रेस्पो. बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 29–12–2017

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बालोतरा के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर अपने खातेदारी के खेत खसरा नंबर 80 रकबा 36.09 बीघा, खसरा नंबर 98 रकबा 7 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 202/114 रकबा 39.15 बीघा, खसरा नंबर 199/136 रकबा 5.05 बीघा भूमि की सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने बाबत प्रार्थना पत्र यह कथन करते हुए पेश किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी के सेढा पडोस मे विप्रार्थीगणो की खातेदारी की भूमि आई हुई है किन्तु सीमा चिन्ह नही होने से काश्त के समय अक्सर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेत की सीमाओ को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है इसलिए भविष्य मे सीमा को लेकर विवाद न बढे

इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाना चाहता है । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–4–2015 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विवादित भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी करने हेतु भू मापक को नियुक्त किया तथा निर्देश दिया कि न्यायालय का कोई स्थगन आदेश न हो तो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व नेखमबंदी कर पालना पेश करने के आदेश पारित किये । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । रेस्पो0 अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस पेश की जिसकी प्रति अपीलांट अधिवक्ता को दी जाकर शामिल पत्रावली की गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दाहराते हुए कथन किया कि अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबरान क्रमशः 80,, खसरा नंबर 98, खसरा नंबर 202/114 तथा खसरा नंबर 199/136 की समस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की है तथा संयुक्त खातेदारी की भूमि का बिना बंटवाडा करवाये कोई एक सहखातेदार किसी भी भू भाग का बेचान ही नही कर सकता है परंतु उक्त अपील के सहखातेदोर देदाराम द्वारा अपील मे वर्णित वादगस्त भूमि मे से खसरा नंबर 98 रकबा 7 बीघा 06 बिस्वा की भूमि के संबंध मे एक पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज के जरिये भूमि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 7 के पिता हेमाराम के पक्ष मे वर्ष 1981 मे बेचान होना बताया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे उक्त खसरा नंबर 98 के बारे मे जो फाईडिंग दी है जिसके संबंध मे वकील अपीलांट का कथन है कि खसरा नंबर 98 की भूमि के संबंध मे देदाराम ने कोई बेचान किया ही नही था तथा न ही कोई प्रतिफल अपीलाधीन भूमि के बदले मे प्राप्त किया था फिर भी तथाकथित बेचाननामे को निरस्त करवाने बाबत माननीय सिविल न्यायालय मे वाद पेश कर दिया है, जो विचाराधीन है जिसके निर्णय से ही अंतिम निर्णय होना है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे खसरा नंबर 98 की भूमि को अपीलांटगण की नही मानकर कानूनी भूल की है इसलिए अपीलाधीन आदेश मे मोडिफिकेशन करते हुए अपीलांटगण के अन्य खसरा नंबरान के साथ खसरा नंबर 98 की सीमांकन एवं पत्थरगढी बाबत आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 सख्या 7 की ओर से लिखित बहस मे उल्लेख किया अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे अपने खातेदारी की भूमि की सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाने बाबत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–4–2015 के द्वारा स्वीकार करने के बावजुद अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई औचित्य नही होने के कारण यह अपील खारीज करने का निवेदन किया । वकील रेस्पो0 ने लिखित बहस मे उल्लेख किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे खसरा नंबर 98 के संबंध मे प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने अथवा खसरा नबर 98 की भूमि का सीमाकंन नही करने का कोई आदेश पारित नही किया गया होने पर भी यह अपील पेश की है, जो खारीज योग्य है ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 244 को निरस्त कर दिया है जिसकी अपील अपीलांटगण ने प्रस्तुत कर दी है, जो विचाराधीन है इस आधार पर भी अपीलांट की यह अपील खारीज योग्य होने से खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने अपीलांट अधिवक्ता की मौखिक बहस तथा रेस्पो0 संख्या 7 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अध्ययन किया तथा उन पर मनन किया साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेज तथा अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रेकर्ड जमाबंदी के अवलोकन से यह प्रकट है कि अपीलांटगण की अन्य खसरान की भूमियो के साथ खसरा नंबर 98 की भूमि मे भी अपीलांटगण का नाम दर्ज है जबकि खसरा नंबर 98 की भूमि मे रेस्पो0 (क्रेता) का नाम नही है इसलिए अपीलांटगण को अपने खाते मे दर्ज भूमि की पत्थरगढी कराने का पूरा अधिकार है । परंतु अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 98 रकबा 7 बीघा 06 बिस्वा बाबत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध बेचान दस्तावेज का अवलोकन करने से यह प्रकट है कि देदाराम द्वारा हेमाराम जो कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 7 बाबूलाल के पिता है, के पक्ष मे निष्पादित किया हुआ है तथा रेस्पो0 संख्या 7 का कथन है कि खसरा नंबर 98 पर कब्जा भी रेस्पो0 संख्या 7 का ही है। विचाराधीन प्रकरण मे यह निर्धारित नही किया जाना है कि विक्रय किया गया है अथवा नही तथा भूमि पर कब्जा अपीलांट का है अथवा रेस्पो0 का । अतः इस तथ्य से परे राजस्व रेकर्ड से यह सिद्ध है कि वर्तमान मे खसरा नंबर 98 अपीलांट की खातेदारी मे दर्ज है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई स्पष्ट विवेचन दिये बिना खसरा नंबर 98 को छोडने बाबत जो निर्णय दिया है, वह न्यायसंगत नही कहा जा सकता है ।

हालांकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा उनके समक्ष अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए विवादित भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी करने हेतु भू मापक को नियुक्त करते हुए भू मापक को निर्देश दिये है कि न्यायालय का कोई स्थगन आदेश न हो तो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति मे

परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व नेखमबंदी कर पालना पेश करे तथा पैमाईश हल्का पटवारी को साथ मे रखकर करे, जो समर्थन योग्य है ।

उक्त आदेश को यथावत रखते हुए अपीलाधीन निर्णय मे यह अतिरिक्त निर्देश दिये जाते है कि अपीलांटगण की अन्य खसरा नंबरान की भूमियो के साथ खसरा नंबर 98 की भूमि को भी सम्मलित करते हुए पहले उभयपक्षो की उपस्थिति मे पहले सीमाज्ञान करावे, सीमांकन रिपोर्ट मे विवाद की स्थिति मे उभयपक्ष को सुनकर उभयपक्ष की उपस्थिति मे पत्थरगढी की कार्यवाही करे ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–4–2015 मे उक्त अतिरिक्त निर्देश के साथ अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 29–12–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

।